

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठारीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 52/2024

तारीख दायर:- 20.06.2024
तारीख निर्णय:- 18.03.2025

1. श्री अनिल गुर्जर पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।
2. जशोदा पुत्री रघुनाथ गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।
3. श्रीमती बसुदेवी पत्नी रघुनाथ गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।
4. ललिता पुत्री रघुनाथ गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता धन्ना गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।
2. रूकमणी पत्नी लक्ष्मण गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।
3. गोपाल पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी मादडी तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपरिस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री रतनलाल गुर्जर

अप्रार्थी की ओर से- अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा मादडी पटवार सर्कल मादडी तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 4951/3388 रकबा 0.0600 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी कि मौजा मादडी पटवार सर्कल मादडी तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 4951/3388 रकबा 0.0600 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन गय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपरिस्थित होकर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।


उपखण्ड
झाड़ोल, जिला-उदयपुर



हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा मादडी पटवार सर्कल मादडी तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 4951/3388 रकबा 0.0600 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कपिल कुमार कोठारी)
उपायुक्त अधिकारी,
झाडोल जिला मुख्यालय